कार्यालय संभाग आयुक्त एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर

क्र. व्य/33/स्था/2018/1043 ग्वालियर, दिनांक 16/11/2018

//विज्ञप्ति//

मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत् चिकित्सा शिक्षकों से गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल ग्वालियर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता पद हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. आवश्यक योग्यतायें:
   1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता पद हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री एवं 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (जिसमें प्राध्यापक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य हैं)
   2. अभ्यर्थियों को म.प्र. शासन द्वारा नर्सिंग होम/अस्पताल में प्रायवेट प्रेक्टिस के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा किसी प्रायवेट अस्पताल/नर्सिंगहोम में अधिष्ठाता की पूर्वानुमति के बिना विजिट नहीं किया गया हो, इस संबंध में स्वघोषणा–पत्र देना होगा।
   3. म.प्र. के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 05 वर्ष या अधिक का विभागाध्यक्ष का कार्यानुभव।

2. अन्य योग्यतायें:

ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके पास –

1. म.प्र. के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित अस्पताल में अधीक्षक के पद का कार्यानुभव।
2. 03 वर्ष या अधिक का प्रशासकीय अनुभव।
3. प्रेसीडेंट/आयोजन सचिव (Organizing Secretary) के रूप में राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन
4. किसी राष्ट्रीय संस्थान से विषय विशेष में डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
5. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया हो।

3. चयनित अभ्यर्थी को 05 वर्ष अथवा सेवानिवृति जो भी पहले हो तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता पद पर गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जायेगा।

4. इच्छुक अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता के पद पर निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं है। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का पद ग्रहण करने के पश्चात् निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

5. वेतनमान –

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता – 37400–67000+ ग्रेड पे 10000+ शासन द्वारा समय–समय पर देय भत्ते

6. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
   - **जाति संबंधी आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।**

7. अभ्यर्थी का म.प्र. मेडिकल काउंसिल/मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

8 निरर्हतायें–
   - विकृत चित्त वाला होने पर।
   - दुश्चरित्र होने पर।
   - **शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।**

- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रसास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/ पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी– किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसे उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरूद्ध दर्ज किसी आपराधिक मामले में वह दोष सिद्ध हुआ हो।
- ऐसे उम्मीदवार जिनके विरूद्ध विभागीय जांच, लोकायुक्त जांच, ई.ओ.डब्ल्यू जांच लंबित हो।

9. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथिः– कार्यालय संभाग आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर में आवेदन पत्र दिनांक **27.11.2018 शायंकाल 5:00** बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र. डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

10 पात्र अभ्यर्थियों की सूची महाविद्यालय की बेवसाइट WWW.grmcgwalior.org पर उपलब्ध की जायेगी, तथा साक्षात्कार दिनांक 03.12.2018 को संभाग आयुक्त कार्यालय ग्वालियर संभाग में आयोजित किया जायेगा।

11 चयन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12 साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोट साइज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की 02 छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें।

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

आयुक्त
ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

आवेदन का प्रारूप

(आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2018)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के पद हेतु

नोट : सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

फोटो स्वप्रमाणित

1. आवेदक का नाम – ....
2. पुरुष/महिला – ....
3. पिता/पति का नाम (उप नाम सहित) – ....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित) – ....
....
शहर का नाम – .... फोन नंबर ....
मोबाइल नंबर –.......................... ईमेल आइडी ....
5. स्थायी पता – ....
....
शहर का नाम – .... फोन नंबर – ....
मोबाइल नंबर – ....
6. आधार कार्ड नंबर (हो तो) – ....
7. .जन्म तिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची संलग्न करें) – ....
8. वर्ग: अनारक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग –..................
(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
9. मेडीकल काउन्सिल का पंजीयन कमांक एवं नाम तथा दिनांक – ....
अ. (एम.बी.बी.एस.) –
ब. एमडी/एमएस –
स. एमसीएच/डीएम –
10. शैक्षणिक अनुभव :–

कमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/ प्रदर्शक	

11 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
1 एमबीबीएस डिग्री
2 एमडी/एमएस/एमसीएच/डीएम डिग्री
3 एमडी/एमएस/एमसीएच/डीएम प्रयास प्रमाण–पत्र
4 मेडिकल कांउसिल का पंजीयन प्रमाण–पत्र (एमबीबीएस)
5 मेडिकल कांउसिल का पंजीयन प्रमाण–पत्र (एमडी/एमएस)
6 मेडिकल कांउसिल का पंजीयन प्रमाण–पत्र (एमसीएच/डीएम)
7 आधार कार्ड
8 विभागाध्यक्ष के पद का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
9 अधिष्ठाता की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रायवेट अस्पताल में प्रेक्टिस/विजिटिंग न करने संबंधी स्व घोषणा पत्र।

12. प्राथमिकतायें –
1 अंतराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सी.एम.ई. एवं सेमीनार आयोजन करने का अनुभव
2 राष्ट्रीय, राज्य एवं संस्था स्तरीय प्रशिक्षण आयोजन का अनुभव
3 मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया में कार्य करने का अनुभव
4 न्यायालयीन प्रकरण प्रभारी का अनुभव
5 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अधीक्षक के पद का अनुभव
6 प्रशासकीय कार्य का अनुभव

स्थान..

दिनांक ....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

//घोषणा-पत्र//

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूण। एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मेरे विरूद्ध पुलिस प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं है, और मेरे विरूद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त जांच अथवा ई.ओ.डब्ल्यू जांच प्रचलन में नहीं है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 मुझ पर पूर्णरूपेण बंधनकारी होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हास्ताक्षर